न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—244/2015/223 (2015/00247)

1. नारायण पुत्र भोमा, जाति मेहरात, निवासी भीमपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. नाथा पुत्र भोमा, जाति मेहरात, निवासी भीमपुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. करीमा पुत्र मल्ला (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— नंदू पुत्र करीमा,
   2/2— शकूर पुत्र करीमा,
   2/3— ईदू पुत्र करीमा,
   2/4— श्रीमती भोली पत्नी करीमा,
   समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम भीमपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 16.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 133/2008

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन एवं श्री नौरतमल जैन, वकील अपीलांट।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2/1 से /2/4 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 28.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के अंतर्गत खसरा नंबर 2036 रकबा 0.53 है0 किस्म बारानी—2 ग्राम भीमपुरा, तहसील नसीराबाद के संदर्भ में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया । प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया, अधी0न्याया0 के द्वारा वादपत्र में विवाद बिन्दू कायम किये गये, वादपत्र साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया, इसी दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व कैम्प कि जिसके अनुसार कैम्प कोर्ट ग्राम बिठुर तहसील नसीराबाद दिनांक 16.6.2015 को पत्रावली रखकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री

पारित कर दी । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र मे साक्ष्य वादी हेतु तारीख पेशी दिनांक 5.8.2015 नियत थी कि इसी दौरान राज्य सरकार के आदेशानुसार कैम्प कोर्ट के आदेश पारित किये गये के अनुसार ग्राम बिठुर तहसी लनसीराबाद में दिनांक 16.6.2015 को कैम्प कोर्ट लगाई गई जिसमें प्रतिवादी/अपीलांट के द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि वादपत्र में साक्ष्य वादी ही नहीं हुई है एवं साक्ष्य वादी के उपरांत प्रतिवादी/अपीलांट के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की जावेगी, समझौता की कोई संभावना नही है, वादपत्र में आगामी दिनांक 5.8.2015 है ही रखी जावे परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देश के विपरीत कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन आदेश व डिक्री पारित किये गये जबकि कैम्प कोर्ट में लोक अदालत की भावना से समझाईश, समझौता के आधार पर ही वादपत्र का निर्णय किया जा सकता था, इस प्रकार अधी0न्याया0 के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का जवाबदावा प्रतिवादी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा जवाबदावा के साथ काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि का खातेदारी प्रतिवादी/अपीलांट को घोषित किया जावे तथा काउण्टर क्लेम की पुष्टि में अपीलांट/प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य भी अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अनिनिर्णत रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने विवाद बिन्दु संख्या 1 से 3 का कोई निर्णय ही नहीं किया जबकि विधि के अनुसार आदेश विवाद बिन्दु के अनुसार ही पारित किया जाना चाहिये था । बहस में यह भी कथन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में अपील संख्या 127/2009 बउनवान नारायण बनाम नाथा वगै0 में दिनांक 18.5.2011 को अपील स्वीकार कर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय दिनांक 30.4.2009 निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का पूर्ण विवेचन करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करे किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा हाजा न्यायालय के पूर्व निर्देशों की पालना किये बिना अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णित किया है जो विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी/रेस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान वकील

अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 825 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा निरन्तर उपयोग उपभाग करता चला आ रहा है । विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 के दादा अज्जा पुत्र हमीरा की खातेदारी की थी जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 का भी हक व अधिकार है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध 1349 फसली मिसल बंदोबस्त खतौनी जमाबंदी के अनुसार चौसाला खसरा नंबर 1126 रकबा 11 बीघा अज्जा पुत्र हमीरा के नाम खातेदारी से दर्ज है । अज्जा के तीन पुत्र हुए मल्ला, न्यामा व भोमा । तीनों भाईयों के आपसी समझौते के तहत अपीलाधीन भूमि भोमा पुत्र अज्जा को प्राप्त हुई, भोमा पुत्र अज्जा के दो पुत्र नाथा व प्रतिवादी नारायण है जो कि अपीलांट व रेस्पो0 है । इस प्रकार 1349 फसली खतौनी जमाबंदी से यह प्रमाणित होता है कि अपीलाधीन भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है । अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणात्मक आज्ञाप्ति बाबत् काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था । हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में अपील संख्या 127/2009 बउनवान नारायण बनाम नाथा वगै0 में दिनांक 18.5.2011 को अपील स्वीकार कर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय दिनांक 30.4.2009 निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का पूर्ण विवेचन करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करे । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 द्वारा साक्ष्य हेतु समय लिया जाता रहा । प्रतिवादी को साक्ष्य सुनवाई का बिना अवसर दिये ही पत्रावली को राजस्व कैम्प कोर्ट बिठूर में दिनांक 16.6.2015 को रखकर निर्णित कर दिया गया । अपीलांट अधिवक्ता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल का न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 825 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार '' वादी ने मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की तथा केवल दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये–विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का मखौल उड़ाया और प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु न्यूनतम तीन अवसर भी प्रदान नहीं किये–निर्णय का आधार साक्ष्य है न कि अभिवचन–वादी ने जब दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं कराया, वे साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किये जा सकते–साक्ष्य की अनुपस्थिती में वाद डिक्री किया–अपनाई गई प्रक्रिया विधि विरूद्ध है–ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने परोक्ष प्रयोजन से घोर अवैधता कारित की है ।'' उपरोक्त न्यायियक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय बिना वादी की जिरह पूर्ण करार्य तथा बिना प्रतिवादी की साक्ष्य लिये एवं हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुए तथा बिना तनकीवार निर्णय किये तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को बिना देखे व निर्णित किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिसंगंत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त

योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 16.6.2015 निरस्त की जाती है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को उपरोक्त विवेचन के क्रम में एवं हाजा न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 18.5.2011 प्रकरण संख्या 127/2009 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम की सुनवाई करते हुए एवं एवं उभयपक्ष का साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.6.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर